

भू.अ.निरीक्षक / पटवारी हल्का की जाँच रिपोर्ट

ग्राम धानसा चक्र नं. 2 पटवार मण्डल धानसा चक्र 2 तहसील जसवंतपुरा
जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता संख्या 449 में प्रार्थी श्री विरेन्द्र
का स्वयं अथवा पिता/प्रति का नाम विरेन्द्र राम शर्मा अर्जुन
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जजट नोटिफिकेशन के अनुसार शुद्ध/सम्मानक
विरेन्द्र रामशर्मा श्री अर्जुन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर [Signature]
निरीक्षक भू.अ.
पटवारी मण्डल, धानसा
07/06/18 (सधिश्याम राजपुरोहित)
निरीक्षक [भू.अ.] मोदरा

हस्ताक्षर
पटवारी भू.अ.

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार जसवंतपुरा
कमल/AM 599 दिनांक 7.6.18

निरीक्षक भू.अ. मोदरा पटवारी मण्डल धानसा चक्र 2
रिपोर्ट के अनुसार मौज़ा धानसा चक्र नं. 2 की जमाबंदी की खाता संख्या 449 में दर्ज
नाम विरेन्द्र राम शर्मा अर्जुन के स्थान पर सम्मानजनक/शुद्ध नाम विरेन्द्र रामशर्मा श्री अर्जुन
दर्ज किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
जसवंतपुरा

राजस्व लोक अदालत जहाँ आपके हाथ कम्य टाकासा
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा

दिनांक 7/6/2018 प्रार्थी के आवेदन पर, 21/06/2018
पहचान पत्र, आधार कार्ड, ग्रामपंचायत के प्रमाण पत्र प्रार्थी एवं प्रार्थी के
गर्भ ममसुखलाह के बयान, पटवारी हल्का एवं निरीक्षक भू.अ. के
जांच व तहसीलदार जसवंतपुरा की अनुशंसा के आधार पर 21/6/18
मौज़ा धानसा, चक्र नं. 2 में स्थित साराणी 29 नं. पान, 233 खस
क्र. 449 में सिलाराद अर्जुन के स्थान पर विरेन्द्र रामशर्मा अर्जुन
अर्जुन नाम की कुरस्ती कर सारख रिकॉर्ड में अपील परमिट किये जाने
के आवेदन दिये जाते हैं। आवेदा मजमे आम सुनाओ गयो। तहसीर
जसवंतपुरा

उपखण्ड अधिकारी, जसवंतपुरा
जिला-जालोर (राज.)